प्ररूप सं. 10झक

[नियम 11क का उपनियम (2) *देखिए*]

धारा 80घघ और धारा 80प के प्रयोजनों के लिए 'निःशक्त व्यक्ति', 'गंभीर निःशक्तता', 'स्वपरायणता', 'प्रमस्तिष्कघात' और 'बहुनिःशक्तता' को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं.....

तारीख.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... जो श्री.....का पुत्र/की पुत्री है तथा जो .....वर्ष का पुरुष/की स्त्री* है तथा.....का/की निवासी है और उसका रजिस्ट्रीकरण सं..... है, निःशक्त/गंभीर निःशक्त* व्यक्ति है जो कि स्वपरायणता/प्रमस्तिष्कघात/बहुनिःशक्तता* से पीड़ित है।

2. उस दशा में सुधार हो रहा है/सुधार नहीं हो रहा है/सुधार हाने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।*

3. .....मास/वर्ष की अवधि के पश्चात् उसकी पुनः जांच कराने की सिफारिश की जाती है/नहीं की जाती है।*

हस्ताक्षर

(न्यूरोलोजिस्ट/बाल न्यूरोलोजिस्ट/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी*)

नाम

.....

संस्था/सरकारी अस्पताल का पता :

.....

.....

.....

विशेषज्ञ की अर्हता/पदनाम

मुहर

मरीज के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान*

टिप्पण : * जो लागू न हो उसे काट दें।